न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

मु.सं. 79 / 2024 / प्रार्थना पत्र 6(ए)

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, धोद जिला सीकर

– प्रार्थी

बनाम

विकास पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम चैलासी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– अप्रार्थी

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक– 31 .07.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, धोद जिला सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर के आदेश दिनांक 17.09.2024 के संदर्भ में दिये गये निर्देश की पालना में पंचायत समिति धोद में घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरुपयोग की श्याम होटल, चैलासी, धोद में जांच की गई, जिसमें मौके पर होटल के संचालक श्री विकास उपस्थित मिले, जिनकी उपस्थिति में जांच करने पर निम्न तथ्य पाये– होटल परिसर में चाय, नाश्ता, खाना बनाने के लिये भारत गैस के 05 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा होटल में उपयोग में लिये जा रहे थे। मौके पर उपस्थित होटल संचालक श्री विकास से इनके कागजात के संबंध में पूछताछ की गई जिसमें इनके द्वारा कनेक्शन संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। घरेलू गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) के दुरूपयोग के संबंध में पूछताछ करने पर मौके पर उपस्थित होटल संचालक श्री विकास द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया जिस पर धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त कर कब्जे में लिया गया। मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर 05 सुपुर्दगी में विकम गैस एजेन्सी, सीकर के मैनेजर श्री वसीम खान को सुपुर्दगी में दिये गये। मौके पर फर्द चैकिंग, फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। जब्त 05 गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	सिलेण्डर का एस. आर. क्रमांक / मार्का	सील / अनसील्ड सरकारी तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा में	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार / टेयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्रा में	शुद्व गैस का भार किग्रा में	वि वि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	683603E	सील भारत गैस	14.2	15.7	29.00	13.3	—
2	502636S	सील भारत गैस	14.2	15.7	18.00	2.3	—
3	556547J	सील भारत गैस	14.2	15.7	22.00	6.3	—
4	189428S	सील भारत गैस	14.2	15.7	17.00	1.3	—
5	18074S	सील भारत गैस	14.2	15.7	15.70	0	—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

द्रवित गैस ज्वलनशील पदार्थ है, जिसका निस्तारण धारा 6ए(2) ईसी एक्ट के तहत शीघ्र निस्तारण किये जाने के आदेश फरमावें। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर विस्तृत जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि "प्रार्थी का घर मैन रोड़ से 02 किमी अन्दर होने के कारण जो घरेलू सिलेण्डर खाली हो जाते है वें सिलेण्डर प्रार्थी के द्वारा गाड़ी में रखकर अपनी होटल पर लाकर गैस सिलेण्डरों की गाड़ी आने पर उन्हें भरवाकर अपने घर वापिस ले जाता है क्योंकि प्रार्थी के घर पर घरेलू सिलेण्डरों को भरने गाड़ी नहीं जाती है। प्रार्थी की होटल पर उपरोक्तानुसार पाये गये सिलेण्डरों के क्रम में निवेदन है कि प्रार्थी के घर पर दिनांक 16.09.2024 को घर पर श्रादीय कार्यक्रम होने के कारण क्रम सं. 02 से 05 के घरेलू के सिलेण्डर खाली होने के कारण प्रार्थी खाली सिलेण्डर भरवाने के लिए घर से होटल पर लेकर आया था। प्रार्थी के घर पर कोई भी सिलेण्डर नहीं होने के कारण क्रम सं. 1 पर अंकित सिलेण्डर होटल के पड़ौसी से उधार लेकर आया था। प्रार्थी क्रम सं. 1 पर अंकित सिलेण्डर घर पर ले जाने हेतु लेकर आया था। प्रार्थी के द्वारा उपरोक्तानुसार सिलेण्डरों का किसी भी प्रकार से अपनी होटल पर वाणिज्यिक उपयोग में नहीं लिये जा रहे थे। दिनांक 17.09.2024 को मौके पर किसी भी घरेलू सिलेण्डरों का वाणिज्यिक उपयोग में नहीं लिये जा रहे थे। प्रार्थी के द्वारा अघरेलू वाणिज्यिक सिलेण्डर का उपयोग किया जा रहा था। उपरोक्तानुसार होटल पर पाये गये सिलेण्डर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के ही घरेलु सिलेण्डर थे। अतः प्रार्थी के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 06 (ए) के तहत की गयी कार्यवाही को निरस्त किया जावें।"

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब से सहमत होने पर प्रतीत होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब से सहमत होने पर प्रतीत होता है कि जवाबदाता के उक्त होटल पर निजी उपयोग हेतु तीनों सिलेण्डरों को रखा गया था। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जब्तशुदा सिलेण्डरों को विकास पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम चैलासी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर को वापिस नियमानुसार लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:59 IST
Reason: SelfAttested